एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 3340/2007
राधेश्याम गुप्ता बनाम ए.जी.एम.सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया व अन्य

15.5.2007

<u>माननीय न्यायाधिपति श्री मोहम्मद रफीक</u>

श्री नरेन्द्र तिवारी, अधिवक्ता याची की ओर से।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता इस याचिका को प्रत्याहृत करने की अनुमति चाहते हैं। उन्हें याचिका प्रत्याहृत किये जाने की अनुमति दी जाती है। यह याचिका प्रत्याहृत किये जाने के आधार पर निरस्त की जाती है।

(मोहम्मद रफीक)
न्यायाधिपति